रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 12, 1984/आश्विन 20, 1906
[No. 19] NEW DELHI, FRIDAY, OCT 12, 1984/ASVINA 20, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1984

अधिसूचना सं 1/84

सं० आई एफ सी/बी एण्ड सी/36 एजीएम/84-85059 —भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की [illegible] 3/4 दिनांक 20 अगस्त, 1984 के अनुक्रम तथा निगम के साधारण विनियमों के विनियम 53 के अनुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट शक्तियों के प्रतिनिधित्व धारण के लिए एक निदेशक के चयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक, श्री ए. एस. पंरी के पक्ष में केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ है।

2 चूंकि, भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ है, अतः निगम के शेयरधारियों की 22 अक्तूबर, 1984 को आयोजित की जाने वाली 36वीं वार्षिक महासभा में उक्त वित्तीय निगम की शर्तों के अधीन श्री ए. एस. पुरी को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निर्देशक माना लिया जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) की शर्तों के अधीन श्री पुरी अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल की शेष अवधि, अर्थात जब तक 1985 में आयोजित की जाने वाली 37वीं वार्षिक महासभा में उनके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं होता, तब तक पदासीन रहेंगे।

डी. जी. रमैया, महाप्रबंधक

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 9th October, 1984

NOTIFICATION NO. 4|84

No. IFC|B&C|36th AGM 84-85059.—In continuation of Industrial Finance Corporation of India's (IFCI) Notification No. 3|84, dated the 29th August, 1984, and in pursuance of Regulation 33 of the General Regulations of the Corporation, it is hereby notified that only one valid nomination for election of one Director representing shareholders referred to in clause (c) of sub section (1) of section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, has been received in favour of Shri A. S. Puri Managing Director, State Bank of India.

2 As only one valid nomination has been received, and there is only one vacancy to be filled, Shri A. S. Puri, in accordance with the said Regulation, shall be deemed to be elected as Director, IFCI at the 36th Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation to be held on the 22nd October, 1984. Shri Puri shall hold office in terms of sub-section (3) of section 11 of the said Act, for the unexpired portion of the term of his predecessor i.e. till a successor is elected at the 37th Annual General Meeting to be held in 1985

D. G. RAMAIAH, General Manager

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984